[2018] 3 एस.सी.आर. 42

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

अजय कुमार मोहंती और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 7181 वर्ष 2015)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

मोटर यान अधिनियम, 1988: धारा 166 - क्षतिपूर्ति - यान के चालक की लापरवाही - लापरवाही की गणना - दावेदार दुर्घटना के कारण विकलांगता का शिकार हुआ - डॉक्टर का साक्ष्य कि 55% की सीमा तक विकलांगता - अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 22,85,322/- रुपये का पंचाट, हालांकि, उच्च न्यायालय ने राशि को घटाकर 12,00,000/- रुपये कर दिया। अपील में अभिनिर्धारित: आय की गणना करते समय, अधिकरण ने गणना की त्रुटि की - विकलांगता के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा स्थायी नहीं था - आय का वार्षिक नुकसान 79,877/- रुपये आता है - विकलांगता अस्थायी प्रकृति की है, आय के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाता है, आघात, दर्द और पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये, और चिकित्सा व्यय के लिए 2,09,622/- रुपये - इस प्रकार, याचिका दायर करने की तारीख से 9,10,000/- रुपये ब्याज @ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के साथ दिए गए।

दावेदार एक मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप विकलांगता। अधिकरण ने क्षतिपूर्ति के रूप में 22,85,322/- रुपये दिए। अपीलकर्ता- बीमाकर्ता ने क्षतिपूर्ति की राशि को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति को घटाकर 12,00,000/- रुपये कर दिया और ब्याज को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 7.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया : 1.1 अधिकरण के आदेश का अवलोकन करने पर, बीमाकर्ता की इस दलील में दम है कि आय की गणना करते समय, अधिकरण ने गणना की त्रुटि की। अधिकरण ने 2007, 2008 और 2009 के आयकर रिटर्न के आधार पर 1,45,231/- रुपये की औसत आय प्राप्त की। हालांकि, अधिकरण ने बाद में नोट किया कि औसत आय 2,62,372/- रुपये है। अंततः, अधिकरण ने दावेदार की गवाही के आधार पर 2,22,000/- रुपये की वार्षिक आय पर कार्यवाही की कि वह प्रति माह 18,500/- रुपये कमा रहा था। यह विरोधाभासी है। अधिकरण के निष्कर्ष के आधार पर कि दावेदार की पिछले तीन वर्षों की औसत आय 1,45,231/- रुपये थी, पी.डब्ल्यू. 2 - डॉक्टर के साक्ष्य को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि

विकलांगता 55 प्रतिशत की सीमा तक है। दूसरे शब्दों में, उक्त विकलांगता के परिणामस्वरूप आय का नुकसान प्रति वर्ष 79,877/- रुपये होगा। [पैरा 7] [47-सी-ई]

1.2 तत्काल मामले में, डॉक्टर ने विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रक्षेप करने की बात स्वीकार की। साक्ष्य इंगित करता है कि विकलांगता अस्थायी है और स्थायी नहीं है। डॉक्टर ने स्वीकार किया कि विकलांगता प्रमाण पत्र ने गलती से 'स्थायी' शब्द पर टिक मार्क का संकेत दिया। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल मामले में विकलांगता में सुधार होने की संभावना है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विकलांगता के स्थायी होने के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया था। [पैरा 11, 12] [50-बी-डी]

1.3 20,75,700/- रुपये की राशि देने का कोई आधार नहीं था। अधिकरण ने चिकित्सा व्यय के लिए 2,09,622/- रुपये की राशि का आदेश दिया। 79,877/- रुपये की वार्षिक आय हानि का आंकड़ा स्वीकार किया जाता है। विकलांगता अस्थायी प्रकृति की होने के कारण, आय के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाता है। आघात, दर्द और पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाता है। इसके अलावा, दावेदार 2,09,622/- रुपये के चिकित्सा व्यय का हकदार है। 9,10,000/- रुपये के भुगतान का निर्देश देकर न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। उच्च न्यायालय के आलोच्य निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है। [पैरा 13] [50-एफ]

श्री लक्ष्मण @ लक्ष्मण मौर्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2011) 12 एस.सी.ए.एल.ई. 658;** *गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **(2011) 10 एस.सी.सी. 683;** *आरडी हट्टंगड़ी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड* **(1951) 1 एस.सी.सी. 551;** *निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस. धनंका* **[2009] 9 एस.सी.आर. 313: (2009) 6 एस.सी.सी. 1;** *रेशमा कुमारी बनाम मडम मोहन* **[2009] 11 एस.सी.आर. 305: (2009) 13 एस.सी.सी. 422;** *अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **[2010] 11 एस.सी.आर. 857: (2010) 10 एस.सी.सी. 254;** *राज कुमार बनाम अजय कुमार* **[2010] 13 एस.सी.आर. 179: (2011) 1 एस.सी.सी. 343;** *सुबुलक्ष्मी बनाम एमडी तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम* **[2012] 9 एस.सी.आर. 962 : (2012) 10 एससीसी 177 - संदर्भित किया गया।**

<u>केस लॉ रेफरेंस</u>

2011 (12) एस.सी.ए.एल.ई. 658 पैरा 9 को संदर्भित किया गया।

(2011) 10 एस.सी.सी. 683 पैरा 9 को संदर्भित किया गया।

(1951) 1 एस.सी.सी. 551	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**
[2009] 9 एस.सी.आर. 313	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**
[2009] 11 एस.सी.आर. 305	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**
2010 (11) एस.सी.आर. 857	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**
[2010] 13 एस.सी.आर. 179	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**
[2012] 9 एस.सी.आर. 962	**पैरा 9 को संदर्भित किया गया।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 7181 वर्ष 2015।

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा एम.ए.सी.ए. संख्या 1020 वर्ष 2014 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.04.2015 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 1879 वर्ष 2016।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुश्री नीरजा सचदेवा, सुश्री मीरा माथुर, प्रणय कुमार महापात्र।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** द्वारा दिया गया,

1. मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ति के दावे में, मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप दावेदार द्वारा की गई विकलांगता से उत्पन्न होने पर, अधिकरण ने 22,85,322/- रुपये की राशि का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील में क्षतिपूर्ति को घटाकर 12,00,000/- रुपये कर दिया था, ब्याज को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के समर्थन में निहित एकमात्र तर्क निम्नानुसार है:

> "अपील में लिए गए आधारों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा की गई टिप्पणी और दिए गए क्षतिपूर्ति की राशि की मात्रा और जिस आधार पर इसे तय किया गया है, के संबंध में दिए गए न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि न्याय के हित की सबसे अच्छी सेवा होगी, यदि 22,85,322/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि को संशोधित किया जाता है और इसे घटाकर 12,00,000/- रुपये कर दिया जाता है। ब्याज @ 7.5% प्रति वर्ष के पंचाट को भी संशोधित किया गया है और केवल 7% तक घटा दिया गया है। तदनुसार, दावेदार दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्रति वर्ष 7% ब्याज के साथ 12,00,000/- रुपये की संशोधित क्षतिपूर्ति राशि का हकदार है। आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया जाता है हद तक कहा।"

2. प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई विचार नहीं किया गया है। उपरोक्त उद्धरण को एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। आम तौर पर, हम नए सिरे से निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज देते। हालांकि, हम न्याय के अपराध को रोकने के लिए ऐसा नहीं करने के इच्छुक हैं, जो अपने आप में देरी का कारण बन सकता है। दुर्घटना 25 अप्रैल 2009 को हुई थी जब अपीलकर्ता 32 वर्ष का था। अधिकरण का फैसला 26 फरवरी 2014 को सुनाया गया था। उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2015 को अपना फैसला सुनाया। इस अदालत ने 25 फरवरी 2016 को अनुमति दे दी थी। इसलिए, हमने गुण-दोष के आधार पर विवाद करने वाले पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले को अंतिम रूप देने के लिए विवाद को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

3. दुर्घटना 25 अप्रैल 2009 को हुई जब दावेदार क्योंझर से बड़बिल की ओर जा रहा था। वाहन एन.एच. 215 के एक पुल के ऊपर गिर गया। दावेदार को ग्रामीणों द्वारा बचाया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें बाईं कोहनी और फीमर में फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। अधिकरण ने इस तथ्य को दर्ज किया कि दावेदार के साक्ष्य अपरिवर्तित रहे और दुर्घटना वाहन के चालक के तेज और लापरवाही के कारण हुई। वाहन का आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमाकर्ता) के साथ बीमा किया गया था।

4. क्षतिपूर्ति के दावे का आकलन करते समय, अधिकरण ने पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को नोट किया, डॉक्टर जिसने दावेदार को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया था। डॉक्टर ने कहा कि विकलांगता अस्थायी थी और स्थायी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति-परीक्षा के दौरान इस आशय का प्रवेश प्राप्त किया गया था कि उसने सी.डी.एम.ओ. की सहमति या ज्ञान के बिना विकलांगता प्रमाण पत्र में कुछ प्रक्षेप किए थे। अधिकरण ने माना कि विकलांगता स्थायी थी या अस्थायी, यह मूल्यांकन करने के लिए बाध्य था। 2007, 2008 और 2009 के लिए दावेदार के आयकर रिटर्न से, अधिकरण ने पाया कि उसकी वार्षिक आय 1,45,231/- रुपये होगी। इसके बाद अधिकरण ने पाया कि वार्षिक आय 2,62,372/- रुपये थी। हालांकि, अधिकरण ने दावेदार के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, जिसने दावेदार के साक्ष्य के आधार पर अपनी आय 2,22,000/- रुपये सालाना की कम राशि बताई कि बी-श्रेणी ठेकेदार के रूप में, वह प्रति माह 18,500/- रुपये कमा रहा था। अधिकरण ने 17 प्रतिशत का गुणक लागू किया। जिला मेडिकल बोर्ड, भद्रक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता को 55 प्रतिशत मानते हुए, अधिकरण ने क्षतिपूर्ति की गणना 20,75,700/- रुपये की। इसके अलावा, चिकित्सा व्यय के लिए 2,09,622/- रुपये की राशि प्रदान की गई। कुल 22,85,322/- रुपये की राशि प्रदान की गई।

5. बीमाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण का आदेश विरोधाभासी और साक्ष्य के आकलन के विपरीत है। उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताने में विफल रहने से यह त्रुटि और बढ़ गई है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने स्पष्ट रूप से गलत आधार पर आगे बढ़ाया कि दावेदार को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा।

यह आग्रह किया गया था कि पीडब्ल्यू 2, डॉक्टर के साक्ष्य इंगित करते हैं कि विकलांगता प्रमाण पत्र उनके द्वारा अनधिकृत रूप से अंतर्वेशित किया गया था। अपने साक्ष्य के दौरान डॉक्टर की स्वीकृति कि चोट एक अस्थायी प्रकृति की थी और सुधार होने की संभावना थी, को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकरण का निर्णय, विशेष रूप से पैराग्राफ 10, इंगित करेगा कि अधिकरण ने गणना की गंभीर और स्पष्ट त्रुटियां की हैं। और इसके तर्क में एक आंतरिक असंगति है।

6. दूसरी ओर, दावेदार की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जबकि पी.डब्ल्यू. 2 ने विकलांगता प्रमाण पत्र को अंतर्वेशित करने की बात स्वीकार की है, यह वास्तव में दावेदार के पक्ष में होना चाहिए क्योंकि प्रक्षेप की प्रकृति इंगित करेगी। बीमाकर्ता की तरह, दावेदार को भी इस तथ्य के संबंध में शिकायत है कि उच्च न्यायालय का आदेश तर्कसंगत नहीं है। हालांकि, दावेदार का कहना है कि अधिकरण द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति की मात्रा को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के पास कोई औचित्य नहीं था।

7. अधिकरण के आदेश का अवलोकन करने पर, हम बीमाकर्ता के तर्क में बल पाते हैं कि उसके आदेश के पैराग्राफ 10 में आय की गणना करते समय, अधिकरण ने गणना की त्रुटि की है। अधिकरण ने 2007, 2008 और 2009 के आयकर रिटर्न के आधार पर 1,45,231/- रुपये की औसत आय प्राप्त की है। हालांकि, अधिकरण ने बाद में नोट किया है कि औसत आय 2,62,372/- रुपये है। अंततः, अधिकरण दावेदार की गवाही के आधार पर 2,22,000/- रुपये की वार्षिक आय पर आगे बढ़ता है कि वह प्रति माह 18,500/- रुपये कमा रहा था। यह विरोधाभासी है। हमारे विचार में, अधिकरण के निष्कर्ष के आधार पर कि पिछले तीन वर्षों के लिए दावेदार की औसत आय 1,45,231/- रुपये थी, पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि विकलांगता 55 प्रतिशत की सीमा तक है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त विकलांगता के परिणामस्वरूप आय का नुकसान प्रति वर्ष 79,877/- रुपये होगा।

8. क्षतिपूर्ति के परिमाणीकरण पर पहुंचने में, हमें अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति स्थायी विकलांगता के साथ-साथ भविष्य की कमाई के नुकसान के कारण दिया जा सकता है, क्योंकि एक सिर व्यक्ति की क्षमता की हानि से संबंधित है और दूसरा व्यक्ति द्वारा जीवन के आनंद के नुकसान के कारण दर्द और पीड़ा के क्षेत्र से संबंधित है।

9. **श्रीलक्ष्मण @ लक्ष्मण मौर्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[1] के मामले में, इस अदालत ने इस प्रकार कहा:

> "उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों का अनुपात यह है कि यदि पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना स्थायी या अस्थायी विकलांगता का सामना करती है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि दुर्घटना के कारण होने वाले दर्द, पीड़ा और आघात, कमाई की हानि और

[1]2011 (12) एस.सी.ए.एल.ई. 658

पीड़ित की सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसका वह आनंद लेता है, लेकिन दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता के लिए।"

गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी[2] इस अदालत ने **आरडी हट्टंगड़ी बनाम कीट नियंत्रण (इंडिया) (पी) लिमिटेड**[3], **निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस धनंका**[4], **रेशमा कुमारी बनाम मैडम मोहन**[5], **अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[6], **राज कुमार बनाम अजय कुमार**[7] मामले में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा:

"18. हमारे विचार में, अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राज कुमार बनाम अजय कुमार में निर्धारित सिद्धांत का सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा दुर्घटना के पीड़ितों को देय क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए, जो स्थायी या अस्थायी रूप से अक्षम हैं। यदि दुर्घटना का पीड़ित व्यक्ति स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि कमाई के नुकसान और सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असमर्थता के लिए भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिसका वह आनंद लेता, लेकिन दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता के लिए।." (पृष्ठ 693 पर आईडी)

सुबुलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम[8] के प्रबंध निदेशक के मामले में हममें से एक (न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) द्वारा दिए गए एक फैसले में इन सिद्धांतों को दोहराया गया था।

10. वर्तमान मामले में, पी.डब्ल्यू. 2 डॉ उमाकांत जेना के साक्ष्य इंगित करते हैं कि उन्होंने शुरू में, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के अनुसार कंधे के जोड़, कोहनी के जोड़ और बाएं फीमर की जांच की थी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से संकेत मिलता है कि लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। डॉक्टर ने शुरू में 'स्थायी' शब्द पर एक टिक मार्क लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने 'स्थायी' शब्द को काटकर एक प्रक्षेप किया और "सुधार की संभावना नहीं है"। डॉक्टर के साक्ष्य को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, जहां तक यह तथ्य है:

"4) विकलांगता अस्थायी है लेकिन स्थायी नहीं है। विकलांगता में सुधार होने की संभावना है। विकलांगता प्रमाण पत्र मूल है। गलती से, मैंने "स्थायी" शब्द पर एक टिक

---

[2] (2011) 10 एस.सी.सी. 683
[3] (1951) 1 एस.सी.सी. 551
[4] (2009) 6 एस.सी.सी. 1
[5] (2009) 13 एस.सी.सी. 422
[6] (2010) 10 एस.सी.सी. 254
[7] (2011) 1 एस.सी.सी. 343
[8] (2012) 10 एस.सी.सी. 177

मार्क दे दिया। प्रतिदिन लगभग एक सौ विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अतः, मैंने यह गलत किया। मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि इस विकलांगता प्रमाण पत्र को जारी करने से पहले मैंने किन दस्तावेजों को सत्यापित किया था। प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि कील लगी थी। विशेष रूप से इस मामले में, विकलांगता में सुधार हो सकता है। सिरा का कोई भी फ्रैक्चर विकलांगता का कारण होगा। मैं अपने उपरोक्त वाक्य की राय को कोई अधिकार नहीं दे सकता।

5) यह सच नहीं है कि विकलांगता का प्रतिशत मेरे द्वारा बनाया गया था जिसे घायल लोगों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह कि कोई विकलांगता नहीं थी। यह सच नहीं है कि घायलों से फायदा होने के कारण मैंने यह विकलांगता प्रमाण पत्र दिया है।

<u>अदालत में:-</u>

प्रश्न संख्या 1:- क्या आपके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भ्रम पैदा कर रहा है?

उत्तर; हाँ।

प्रश्न संख्या 2: क्या आपको आपकी गलती के लिए राज्य के खजाने से टी.ए. और डी.ए. का भुगतान किया जाएगा?

उत्तर: नहीं, मुझे भुगतान किया जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 3:- न्यायालय में मेरी उपस्थिति सरकारी कर्तव्य है या सी.एल.?

उत्तर: मेरी गलती के लिए मुझे सीएल लेना चाहिए।

प्रश्न संख्या 4:- क्या आप बता सकते हैं कि आपने सी.डी.एम.ओ., भद्रक सहित 4 डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को अंतर्वेशित क्यों किया?

उत्तर: मैं समझा नहीं सकता।

प्रश्न संख्या 5:- क्या पहले से तैयार सार्वजनिक दस्तावेज पर टिक मार्क काटने और लगाने और प्रक्षेप करने से पहले अन्य तीन डॉक्टरों की सहमति प्राप्त करना वांछनीय नहीं था?

उत्तर: मुझे पहले अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सहमति और हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए था। दस्तावेज को खंगाल रहे हैं।

11. डॉक्टर ने विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रक्षेप करने की बात स्वीकार की है। उपरोक्त साक्ष्य इंगित करता है कि विकलांगता अस्थायी है और स्थायी नहीं है। डॉक्टर ने स्वीकार किया कि विकलांगता प्रमाण पत्र ने गलती से 'स्थायी' शब्द पर एक टिक मार्क का संकेत दिया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में विकलांगता में सुधार होने की संभावना है।

12. इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस तर्क में बल पाते हैं कि विकलांगता के स्थायी होने के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं

किया गया था। 20,75,700/- रुपये की राशि प्रदान करने का कोई आधार नहीं था। अधिकरण ने चिकित्सा व्यय के लिए 2,09,622/- रुपये की राशि दी है। हम 79,877/- रुपये की वार्षिक आय हानि के आंकड़े को स्वीकार करते हैं। विकलांगता एक अस्थायी प्रकृति की होने के कारण, हम आय के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देते हैं। हम आघात, दर्द और पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, दावेदार 2,09,622/- रुपये के चिकित्सा व्यय का हकदार है। हमारा विचार है कि 9,10,000/- रुपये के भुगतान का निर्देश देकर न्याय के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। बीमाकर्ता बारह सप्ताह के भीतर अधिकरण के समक्ष ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति जमा करेगा जो उचित पहचान पर दावेदार को वितरित किया जाएगा।

13. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आलोच्य निर्णय और आदेश को निरस्त करते हैं। दोनों अपीलों का निस्तारण ऊपर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपीले निस्तारित।

अनुवादकर्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय